भर्ती हेतु सूचना

वित्त नियंत्रक (एनएचएम–वित्त)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्त प्रबंध समूह)
किसको रिपोर्ट करेंगे	निदेषक (एनएचएम–वित्त)
पद का नाम	**वित्त नियंत्रक**
पदों की संख्या	एक
कार्य स्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

1. पृश्ठभूमि

राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन (अम्ब्रेला आर्गेनाइज़ेषन) है, जिसका उद्देष्य, प्राथमिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली उपलब्ध कराना है। एनएचएम के अधीन वित्त प्रबंध प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करने के लिए पूर्णतः संविदा आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में जन षक्ति सहयोग की आवष्यकता होती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग के अधीन कार्यरत वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी), संसाधनों के कुषल प्रबंध और पूर्व–निर्धारित उद्देष्यों को प्राप्त करने के मुख्य लक्ष्य के साथ योजना निर्माण, बजट तैयार करने, लेखाकरण, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखा–परीक्षा, बाह्य लेखा–परीक्षा, खरीद, फंड का वितरण और कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय निशपादन की निगरानी का कार्य करते हैं। निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्कृश्ट वित्तीय प्रबंध एक महत्वपूर्ण इनपुट होता है। सटीक और समय पर वित्तीय जानकारी, कार्यक्रम एवं फंड अवमुक्त करने के बारे में संसूचित निर्णयों का आधार बनती है, और कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन में देरी को कम करने में मदद करती है। एफएमजी यह सुनिष्चित करने का प्रयास करता है कि जीएफआर के सभी प्रावधानों और व्यय विभाग की षर्तों का अनुपालन करने के उपरांत सभी कार्यक्रमों को समय से फंड प्राप्त हो जाएं। एनएचएम के तहत, भारत सरकार का यह प्रयास है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए फंड के प्रबंधन के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन क्षमताएं विकसित की जाएं। राज्यों को राज्य में वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) स्थापित करने और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

2. उद्देष्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक का कार्य, एनएचएम के तहत एनएचएम आरसीएच फ्लेक्सीपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम और एनडीसीपी फंडों के प्रबंध की निगरानी करना और फंड अवमुक्त करना, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, खर्च नहीं हुई धनराषियों, सांविधिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, ई–बैंकिंग, उपभोग प्रमाण पत्र, फील्ड समीक्षा दौरे सहित समग्र वित्त प्रबंध की निगरानी करना और उनपर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखना है।

3. कार्य का विवरण

प्रमुख दायित्वः

(i) आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय विष्लेशक और वित्तीय सहायकों की टीम का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रषिक्षण और मार्गदर्षन करना।

(ii) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फंड के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए ई–बैंकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन और अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) टैली का कार्यान्वयन करना।

(iii) विकास भागीदारों के साथ समन्वय करना, उचित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावों को तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना।

(iv) ई–बैंकिंग डेटा की सहायता से वित्तीय एमआईएस और समानान्तर कार्यक्रम प्रबंध स्थिति की जानकारी निकालना और राज्यों की मैनुअल रिपोर्टों से उसका मिलान करना।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रालय के एचएमआईएस पोर्टल पर वित्तीय सूचना अपलोड करना।

(vi) फंडों के संकलन, आवंटन, अवमुक्त करने और उपयोग करने आदि के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना।

(vii) एनडीसीपी सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कानूनी लेखा–परीक्षा व्यवस्था, निगरानी, समीक्षा, विष्लेशण, लेखा–परीक्षा और सरकार के प्रेक्षणों का अनुपालन और विकास भागीदारों को समय पर लेखा–परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(viii) समवर्ती लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति, मासिक रिपोर्टें प्राप्त करने और उनपर अनुवर्ती कार्रवाई करने सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समवर्ती लेखा–परीक्षा की निगरानी और कार्यान्वयन करना।

(ix) राज्यों, एनआईएचएफडब्ल्यू में समय–समय पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के वित्त और लेखा स्टाफ का क्षमता वर्धन करना, और समग्र एनआरएचएम के लिए एक साझा वित्त और लेखा मैनुअल तैयार करना।

अन्य दायित्वः

(i) एनआरएचएम के तहत सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड अवमुक्त करने के लिए अवमुक्त, व्यय और षेश राषि पर नज़र रखना।

(ii) एफएमआर, फंड की स्थिति के विवरण की समय पर प्राप्ति और विष्लेशण पर नज़र रखना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनआरएचएम कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का मिलान करना।

(iii) आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा के मामलों में नोडल अधिकारी की भूमिका निभाना और फीडबैक देना।

(iv) समय–समय पर संसदीय प्रष्नों/समितियों, सूचना का अधिकार (आरटीआई), वीआईपी संदर्भ, सीएजी एवं डीजीएसीई लेखा–परीक्षाओं इत्यादि से संबंधित जानकारी और डेटा सपोर्ट मुहैया कराना।

(v) राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरों पर वित्तीय निश्पादन सूचकों और एनएचएम के तहत वित्तीय और लेखाकरण प्रक्रियाओं के एकीकरण की निगरानी करना।

(vi) वित्तीय प्रबंध निश्पादन की समीक्षा, वित्तीय अध्ययन और सुधार की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संयुक्त टीम दौरा करना। जेआरएम, सीआरएम में भागीदारी करना और उनकी सिफारिषों का कार्यान्वयन करना।

(vii) एनएचएम के तहत फंड अवमुक्त करने के लिए केंद्रीय योजनागत स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) का कार्यान्वयन करना।

(viii) आबंटित राज्यों की वार्शिक पीआईपी का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को मसौदा/अंतिम टिप्पणी देना और एनपीसीसी की वार्ताओं में भाग लेना।

4. कार्य–निशपादन

सभी कार्यों और दायित्वों पर समय से कार्रवाई और प्रत्येक तिमाही के अंत में किए गए और प्रस्तावित कार्यों के बारे में निदेषक (एनएचएम–वित्त) को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. षैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव

अधिमानतः किसी मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से एमबीए (वित्त)/सीए।

अधिमानतः सामाजिक क्षेत्र में 3 से 4 वर्शों के अनुभव सहित न्यूनतम 8–10 वर्शों का अनुभव। किसी सरकारी विभाग में वित्तीय प्रबंध संचालन अनुसंधान, प्रणाली विष्लेशण, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, सरकारी लेखाकरण, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोग प्रमाण पत्र और योजना–वार व्यय की रिपोर्टिंग को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा। राश्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का अनुभव और लेखा पैकेजों अधिमानतः टैली, एमएस–ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पाइंट का ज्ञान वांछनीय होगा।

वित्त नियंत्रक (लेखा–परीक्षा) के लिए अतिरिक्त आवष्यकताः

सामाजिक क्षेत्र में पर्यवेक्षक स्तर पर लेखा–परीक्षा का उपयुक्त अनुभव अनिवार्य होगा। इस अनुभव में अधिमानतः सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े राज्य और जिला स्तर के गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), समितियों की लेखा–परीक्षा षामिल होनी चाहिए।

6. **यात्रा और निर्वाह**

परामर्षदाता राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेषक (एनएचएम–वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाएगा। यात्रा के दौरान, परामर्षदाता को समान पदों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक नियत यात्रा/आवास खर्च के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

7. **रिपोर्टिंग जरूरतें**

परामर्षदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेषक (एनएचएम–वित्त) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8. **परामर्ष अवधि**

आरंभ में, यह संविदा 31 मार्च, 2018 तक के लिए होगी, किंतु कार्य–निश्पादन और प्रभाग की आवष्यकता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

9. **पारिश्रमिक**

परामर्षदाता को उनकी षैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर फीस के रूप में प्रति माह 90,000/– रु. से 1,30,000/– रु. तक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

10. **आयु सीमाः**

अधिकतम 50 वर्श (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को)

आवेदन करने के लिएः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **23-Nov-2017 अपराह्न 4 बजे तक** nhm.recruitments@gmail.com पर ई–मेल कर दें। आवेदन पत्र, एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई भर्ती हेतु सूचना में उपलब्ध है। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।